राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .320/2017...जिला...........जयपुर..

उनवान – मैसर्स राजस्थान ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग क0लि0, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वा.क. जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–नवम्, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 26,21,772/– में से राशि रूपये 15,69,924/– को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित्त किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया तथा शेष राशि 10,51,848/– को अस्वीकर किये जाने को व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत चुनौती दी गयी है । उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने ग्राहकों के अनुरोध पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करायी जाती है। ग्राहकों से राशि विक्रय मूल्य के अलावा पृथक से वसूल की जाती है और ग्राहक की ओर से ट्रांसपोर्टर को भुगतान की जाती है। इस प्रकार ग्राहकों से वसूल की गई राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रू. 10,51,848/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 320/2017..जिला............जयपुर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/03/2017	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि अपीलार्थी द्वारा अपने ग्राहकों के अनुरोध पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करायी जाती है। ग्राहकों से विक्रय राशि Ex Factory वसूल की जाती है परन्तु भाड़े की राशि बिलों में अलग से वसूल की जाती है जो ग्राहक की ओर से ट्रांसपोर्टर को भुगतान की जाती है। इस प्रकार ग्राहकों से वसूल की गई प्रथम दृष्टया राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 10,51,848/- की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **दो माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का नित-प्रतिदिन सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **(मदन लाल मालवीय)** **सदस्य** 7.3.2017 **(मदन लाल)** **सदस्य**	